CGDH020015332021

Presented on : 05-10-2021
Registered on : 05-10-2021
Decided on : 29-04-2024
Duration : 2 years, 6 months, 24 days

-:FORM-D:-

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, (छ.ग.) **(पीठासीन अधिकारी: मनीषा ठाकुर)**	
[निर्णय का दिनांक: 29/04/2024] **[अपराधिक प्रकरण क्रमांक. 1558/2022]** **[अपराध क्रमांक.79/2022]**	
प्रार्थी	छ.ग. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अर्जुनी जिला धमतरी, (छ.ग.)
प्रार्थी के ओर से अधिवक्ता	ए.डी.पी.ओ. श्री सुखनाथ साय पैकरा
अभियुक्त	विरेन्द्र कुमार यदु, पिता राजेन्द्र कुमार यदु, उम्र 20 वर्ष, साकिन हाउस नंबर 89 बाजाली नगर वार्ड क्रमांक 36 धरमपुरा, थाना बोधघाट, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री कीर्ति शाह अधिवक्ता

-:FORM-E:-

अपराध का दिनांक	09/10/2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26/02/2022
चलान पेश होने की दिनांक	10/10/2022
आरोप विरचित होने का दिनांक	27/07/2023
साक्ष्य प्रारंभ होने का दिनांक	23/08/2023
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	29/04/2024
निर्णय दिनांक	29/04/2024
दण्डादेश का दिनांक यदि हो तो	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	विरचित आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.स. हेतु अभिरक्षा में बितायी हुई अवधि
1.	विरेन्द्र कुमार यदु, पिता राजेन्द्र कुमार यदु, उम्र 20 वर्ष, साकिन हाउस नंबर 89 बाजाली नगर वार्ड क्रमांक 36 धरमपुरा, थाना बोधघाट, जिला जगदलपुर (छ.ग.)	17/09/2022	17/09/2022	धारा 279, 338	धारा 279 में दोषमुक्त	निरंक	निरंक

–:FORM–F:–

–:अनुक्रमणिका:–

क्रमांक.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1	निर्णय का शीर्षक	01–02
2	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	02
3	आरोप	03
4	अभियोजन कथनाक	03–05
5	कारण एवं निष्कर्ष	05–09
6	दण्डादेश	––
7	दण्डादेश मे मुजरा की गई अवधि	––
8	संपत्ति का व्ययन	09
9	428 द.प्र.स का प्रमाण पत्र	10
10	निर्णय की प्रति	–

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री सुखनाथ साय पैकरा

अभियुक्त द्वारा श्री कीर्ति शाह अधिवक्ता

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–:निर्णय:–

<u>(आज दिनांक 29/04/2024 को घोषित)</u>

1. अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु, पिता श्री राजेन्द्र कुमार यदु, उम्र 20 वर्ष, साकिन– हाउस नंबर 89 बाजाली नगर वार्ड क्रमांक 36 धरमपुरा, थाना बोधघाट, जिला जगदलपुर (छ.ग.) के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 09.10.2021 को समय 16:30 बजे थाना अर्जुनी, जिला धमतरी (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत स्थान, ग्राम मुजगहन स्थित प्रार्थी मुरारी सिन्हा के घर के सामने अपनी वाहन मोटर सायकल क्रमांक **सीजी 05 ए.बी. 1808** को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया जो **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 279** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपनी मोटर सायकल **सीजी 05 ए.बी. 1808** को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत पोयांश सिन्हा को ठोकर मारकर उसका एक्सीडेंट कर उसे गंभीर उपहति कारित की जो **भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 338** के अधीन दण्डनीय अपराध है।

2. **प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में अभियुक्त एवं प्रार्थी/आहत के बीच राजीनामा हो जाने से प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया गया।**

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09/10/2021 के दोपहर शाम करीबन 04:30 बजे प्रार्थी का पुत्र बालक मुर्त. पोयांश सिन्हा उम्र 07 वर्ष घटनास्थल पर अपने घर से निकलकर रोड के दूसरी ओर दुर्गा प्रतिमा पंडाल की ओर जा रहा था कि उसी समय ग्राम लोहरसी से धमतरी की ओर आ रहे मोटर सायकल रायल इन्फील्ड क्रमांक सीजी 05 ए.बी. 1808 के चालक द्वारा अपने मोटर सायकल को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर बालक का एक्सीडेंट कर शरीर के विभिन्न जगह पर चोट पहुंचाया। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण एवं प्रार्थी गवाहो का कथन लिया गया। मुर्त. बालक का ईलाज संबंधी बेड हेड टिकिट प्राप्त किया गया। ईलाजकर्ता डॉक्टर द्वारा बालक को आई चोट के संबंध में मल्टीपल स्कूल एण्ड फेशियल बोन फ्रेक्चर, लिवर इंज्यूरी, जी.सी.एस. लेख करने पर धारा 338 भा.द.वि. जोड़ी गई। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी मोटर सायकल चालक का वाहन जप्त कर व गिरफतारी का कारण बताकर मुताबिक गिरफतारी पत्रक के समक्ष गवाह विधिवत दिनांक 17.09.2022 के 13:00 बजे गिरफतार किया गया व प्रकरण जमानतीय होने व आरोपी द्वारा तत्काल सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। प्रकरण में आरोपी मोटर सायकल चालक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 239/22 दिनांक 19/09/2022 तैयार किया गया। जो वास्ते न्याय हेतु माननीय न्याय पेश किया जाता हैं।

5. अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के तहत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करने से अस्वीकार किया। अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु का अभिवाक उसी के शब्दों में दर्ज किया गया। अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु को द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु द्वारा निर्दोष होना व्यक्त किया गया एवं अपने बचाव मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना व्यक्त किया गया ।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्न बिन्दु पर विचारण किया जाना आवश्यक है–

1. क्या अभियुक्त के द्वारा दिनांक 09.10.2021 को समय 16:30 बजे थाना अर्जुनी, जिला धमतरी (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत स्थान– ग्राम मुजगहन स्थित प्रार्थी मुरारी सिन्हा के घर के सामने अपनी वाहन मोटर सायकल क्रमांक सीजी 05 ए.बी. 1808 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

2. दोषमुक्त/दोषसिद्ध ?

<u>विचारणिय बिन्दू क्र 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष</u>

7. अभियोजन कि ओर से अपने मामले के अंतर्गत उक्त विचारणीय प्रश्न के समर्थन में 01 गवाह, साक्षी मुरारी आ.सा. क्र. 01 का परीक्षण कराया गया है। अभियोजन के द्वारा प्रमाण स्वरूप लिखित शिकायत प्रदर्श पी. 01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02, नजरी नक्शा पी.

03, पुलिस बयान प्रदर्श पी. 04 को अंकित कराया गया। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया और न ही किसी भी दस्तावेज में प्रदर्श को अंकित कराया गया है।

8. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार घटना दिनांक 09/10/2021 के दोपहर शाम करीबन 04:30 बजे प्रार्थी का पुत्र बालक मुर्त. पोयांश सिन्हा उम्र 07 वर्ष घटनास्थल पर अपने घर से निकलकर रोड के दूसरी ओर दुर्गा प्रतिमा पंडाल की ओर जा रहा था, कि उसी समय ग्राम लोहरसी से धमतरी की ओर आ रहे मोटर सायकल रायल इन्फील्ड क्रमांक सीजी 05 ए.बी. 1808 के चालक द्वारा अपने मोटर सायकल को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर बालक का एक्सीडेंट कर शरीर के विभिन्न जगह पर चोट पहुंचाया। कि प्रार्थी के लिखित आवेदन पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण एवं प्रार्थी गवाहो का कथन लिया गया।

9. तत्संबंध में साक्षी **धीरज कुमार रिगरी (आ.सा. क्र. 01)** द्वारा कथन किया गया कि साक्षी न्यायालय मे उपस्थित आरोपी विरेन्द्र कुमार यदु को पहचानता हैं। साक्षी आहत पोयांष सिन्हा को भी पहचानता हैं। वह साक्षी का बेटा है। दिनांक 09.10.2021 को साक्षी का बेटा का एक्सीडेंट हो गया था। जिसके संबंध में साक्षी के द्वारा थाना अर्जुनी में लिखित शिकायत किया गया था, जो **प्रदर्श पी 01**। पुलिस ने साक्षी के लिखित शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था, जो **प्रदर्श पी 02** है। इसके अतिरिक्त साक्षी को घटना के बारे में कोई

जानकारी नही है परंतु घटना का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी 03** है। पुलिस ने साक्षी से कोई पूछताछ नहीं गया था न ही साक्षी का बयान लिया था।

10. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए व्यक्त किया कि पुलिस बयान **प्रदर्श पी 04** के अ से अ अंश " दिनांक 09.10.2021 ..... यही साक्षी का कथन है। " का कथन दिया था। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए व्यक्त किया कि मोटर सायकल रायल इन्फील बुलेट क्रमांक सीजी 05 एबी 1808 का चालक विनय यदु के द्वारा अपने मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए साक्षी का लड़का पोयांष सिन्हा को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था।

11. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए व्यक्त किया कि उक्त घटना से साक्षी के बेटे को शरीर के विभिन्न जगहों पर चोट लगी थी। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए व्यक्त किया कि पुलिस ने साक्षी के बताये अनुसार घटना का नजरी नक्शा तैयार किया था।

12. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन करते हुए व्यक्त किया कि

आज आरोपी एवं साक्षी के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए व्यक्त किया कि राजीनामा होने के कारण आज न्यायालय में साक्षी झूठा बयान दे रहा हैं।

13. **प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि विनय यदु को साक्षी इसी कारण पहचानता हैं, क्योकि साक्षी के पुत्र पोयांष सिन्हा की प्राथमिक चिकित्सा के समय विरेन्द्र कुमार यदु साथ में था।**

14. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा** 279 के अपराध के दो आवश्यक तथ्य है जिन्हे प्रथम की अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाए एवं दूसरा की आरोपी द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण मानवजीवन को संकटापन्न कारित हो, प्रकरण में आए साक्ष्य के अनुसार प्रथम आवश्यक तथ्य संदेह से प्रमाणित नहीं पाया जा सकता एवं प्रकरण में आए साक्षियों के कथन में ऐसा कोई भी कथन नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित हो कि मानवजीवन को उक्त घटना से संकटापन्न कारित हुआ हो। **अतः प्रकरण में आए साक्ष्य के अवलोकन पश्चात अभियुक्त विरेन्द्र कुमार यदु को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।**

15. अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है एवं अभियुक्त द्वारा द.प्र.स की धारा 437 क के अनुपालन में पेश

जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवर्तन में रहेगा एवं 06 माह पश्चात स्वमेव भारमुक्त समझा जावेगा।

16. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि बाबत् धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया गया, जो की निर्णय का भाग होगा।

17. चुँकि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होने से उसे दोषमुक्त किया गया है, अत: आहत को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कि धारा 357 के तहत अभियुक्त से प्रतिकर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दनामे पर है जिसे अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे एवं अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

MANISHA THAKUR
Digitally signed by MANISHA THAKUR
Date: 2024.04.29 17:16:07 +0530

मनीषा ठाकुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

मेरे द्वारा टंकित

MANISHA THAKUR
Digitally signed by MANISHA THAKUR
Date: 2024.04.29 17:16:15 +0530

मनीषा ठाकुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र

(अंतर्गत धारा 428 द.प्र.स.)

01	अभियुक्त का नाम	विरेन्द्र कुमार यदु, पिता राजेन्द्र कुमार यदु, उम्र 20 वर्ष, साकिन हाउस नंबर 89 बाजाली नगर वार्ड क्रमांक 36 धरमपुरा, थाना बोधघाट, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
02	गिरफतारी दिनांक	17/09/2022
03	जमानत दिनांक	17/09/2022
04	पुलिय अभिरक्षा अवधि	निरंक
05	न्यायिक अभिरक्षा अवधि	निरंक
06	धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत दी गई छुट	निरंक

MANISHA THAKUR
Digitally signed by MANISHA THAKUR
Date: 2024.04.29 17:16:23 +0530

मनीषा ठाकुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)